उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:--2938-औ0सं0/2017-97-ए0एस0/96 दिनाँक :06 जून, 2017

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषय:- उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 08.06.2017 से कार्य बहिष्कार की नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने अपने पत्र सं0-04 दिनांक 09.05.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नवत चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 08.06.2017 से कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है :-

1. **दिनांक 07.06.2017 से शक्ति भवन लखनऊ पर कर्मिक अनशन।**
2. **दिनांक 08.06.2017 से कार्य बहिष्कार।**

उक्त चरणबद्ध आन्दोलन में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त संविदाकार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों के भाग लेने की आशंका है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या-1/2017/2308 (1)/24-पी-2-16-1(121)/04 दिनांक 04.01.2017 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या-1398-औ0सं0/2017-159-ए0/67 दिनाँक 16.03.2017 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ प्रस्तावित चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 08.06.2017 से कार्य बहिष्कार को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला-प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जायें।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित कार्य बहिष्कार की अवधि में कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा दिनांक 08.06.2017 से कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग लेने हेतु अनुपस्थित होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ0सं0/17/पाकालि/2001-3-ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये। संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिक यदि कार्य बहिष्कार में भाग लेते है तो उन्हें तत्काल कार्य से हटा दिया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों-मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सलंग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

UNION iv CLASS/34 - SPO

संख्याः–2938–औ0सं0/2017, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

3– समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

7– कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

UNION I/r CLASS 35 –

SPO

एकता। संघर्ष।। विश्वास।।। विजय।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ

पंजीकृत सं.: 6188

प्रधान कार्यालय : शिव नगर, बड़ी पकरिया, सीतापुर रोड, खदरा, लखनऊ। मो. 7860302030
E-mail : uppclgpm@gmail.com

मुख्य संरक्षक कौशल किशोर सांसद मोहन लालगंज (भा.ज.पा.) | प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मिश्रा मो.: 9415569397, 7398548394 | प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू राम | प्रदेश उप महामंत्री हरि प्रसाद रावत | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो.: 8400754341

संरक्षक डा. निरज वोरा विधायक (भा.ज.पा.) | कार्यवाहक अध्यक्ष के.डी. मिश्रा | संयुक्त मंत्री गुगराज सिंह रावत | प्रदेश कार्यालय मंत्री संतराम | प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव

पत्रांक : 04 दिनांक : 09-05-201

आन्दोलन की नोटिस

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

विषय :**समझौते का पालन न होने तथा चतुर्थ श्रेणी एवं संविदा कर्मचारियों के शोषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त बनाये रखने तथा विभागीय कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित प्रकार के कार्यों में आउट सोर्सिंग के माध्यम से 10–10 वर्षो से अधिक समय से ठेकेदारी के माध्यम से संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनका अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है जिसमें विभाग से मिलने वाले रू. 11,000.00 व रू. 13,000.00 (अकुशल व कुशल श्रमिक) के स्थान पर कर्मचारियों को रू. 2,000.00 व रू. 4,000.00 दिया जा रहा है साथ ही साथ इन कर्मचारियों के ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के मद में करोड़ों रूपये का घोटाला किया जा रहा है, वेतन मांगने पर अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा कार्य से हटा देने की धमकी दी जाती है, कार्य के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा अपना आदमी मानने से इन्कार कर दिया जाता है, बिना सुरक्षा उपकरण दिये अधिकारियों द्वारा दबाव बना कर कार्य कराने की प्रथा के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 800 से 1000 संविदा कर्मचारी अपनी जान गवां रहे हैं जिसमें मिलने वाला दुर्घटना हित लाभ भी अधिकारियों व ठेकेदारों में बांट लिया जाता है आदेशों के बावजूद भी कर्मचारियों का न तो श्रम विभाग में पंजीकरण कराया गया है और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र दिया गया है जिसको ध्यान में रखकर संगठन द्वारा समय–समय पर अवाज उठाया जाता रहा है जिसमें सिवाये आश्वासन का कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। संगठन के **संघर्ष के परिणाम स्वरूप उ.प्र. पावर कारपोरेशन व संगठन के मध्य 9 अक्टूबर, 2012 को लिखित समझौता हुआ था। (छायाप्रति संलग्न) जिसमें तीन माह के अन्दर अन्य विभागों की भांति बिजली विभाग में विभागीय संविदा लागू करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू. 4200 व रू. 5400 का ग्रेड पे देने तथा हरदुआ गंज के 126 संविदा कर्मचारियों को पुनः कार्य पर वापस लेने की बात कही गयी थी** मगर 3 माह के अन्दर उपरोक्त का पालन न होने की स्थिति में संगठन द्वारा जब पुनः संघर्ष शुरू किया गया तो **फिर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा वार्ता करने के बहाने 5 पदाधिकारियों को बुलाकर गिरफ्तार करा लिया गया तथा जेल भेजते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राम पाल मिश्र को बरख्वास्त, प्रदेश कोषाध्यक्ष को निलंबित तथा ततकालीन प्रदेश महामंत्री**

डी० के० शुक्ला
निजी सचिव
अध्यक्ष, उ० प्र० पा० का० लि०

निजी सचिव विशेष
निदे० (कार्मिक)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय : शिव नगर, बड़ी पकरिया, सीतापुर रोड, खदरा, लखनऊ। मो. 7860302030
E-mail : uppclgpm@gmail.com

पंजीकृत सं. : 6188

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उप महामंत्री	प्रदेश महामंत्री
कौशल किशोर सांसद मोहन लालगंज (भा.ज.पा.)	रामपाल मिश्रा मो. : 9415569397, 7398549394	लल्लू राम	हरि प्रसाद रावत	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. : 8400754341
संरक्षक	**कार्यवाहक अध्यक्ष**	**संयुक्त मंत्री**	**प्रदेश कार्यालय मंत्री**	**प्रदेश कोषाध्यक्ष**
डा. निरज वोरा विधायक (भा.ज.पा.)	के.डी. मिश्रा	जुगराज सिंह रावत	संतराम	आशीष श्रीवास्तव

पत्रांक : ....

दिनांक : ....

का प्रमोशन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राम पाल मिश्र को शक्ति भवन मुख्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया जबकि आगजनी, तोड़ फोड़ तथा मारपीट करने वाले श्रमिक संगठनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि यह श्रमिक संगठन इस विभाग में ठेकेदारी करते हैं।

अतः आप श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य विभागों की भांति बिजली विभाग में विभागीय संविदा प्रणाली लागू कराने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू. 4200 व रू. 5400 का ग्रेड पे दिलाने तथा हरदुआगंज से निकाले गये 126 संविदा कर्मचारियों को समायोजित करने, संगठन पर कराये गये मुकदमें वापस करने, प्रदेश अध्यक्ष का शक्ति भवन मुख्यालय प्रवेश पर में लगे प्रतिबन्ध को हटाने तथा बर्खास्तगी को दिनांक 5.6.2017 तक वापस लेने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में दिनांक 6.6.2017 को शक्ति भवन मुख्यालय पर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन, दिनांक 7.6.2017 से क्रमिक अंशन तथा दिनांक 8.6.2017 से कार्य बहिष्कार शुरू किया जायेगा जिसमें होने वाली औद्योगिक अशांति एवं क्षति की जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डये)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ

1. ऊर्जा मंत्री, उ.प्र. सरकार, लखनऊ
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. शासन, बापू भवन, लखनऊ
3. अध्यक्ष, उ.प्र. पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ
4. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ
5. जिलाधिकारी, लखनऊ
6. पुलिस अधिक्षक, लखनऊ
7. सम्बन्धित थानाध्यक्ष महोदय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डये)
प्रदेश महामंत्री

संघर्ष!! विश्वास!!! विजय !!

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय : शिव नगर, बड़ी एकरिया, सीतापुर रोड, खदरा, लखनऊ। मो. 7860302030
E-mail : uppclgpm@gmail.com

पंजी सं. : 6188

मुख्य संरक्षक
कौशल किशोर
सांसद मोहन लालगंज (भा.ज.पा.)

संरक्षक
डा. निरज बोरा
विधायक (भा.ज.पा.)

प्रदेश अध्यक्ष
रामपाल मिश्रा
मो. : 9415569397, 7398549394

कार्यवाहक अध्यक्ष
के.डी. मिश्रा

प्रदेश उपाध्यक्ष
लल्लू राम

संयुक्त मंत्री
गुगराज सिंह रावत

प्रदेश उप महामंत्री
हरि प्रसाद रावत

प्रदेश कार्यालय मंत्री
संतराम

प्रदेश महामंत्री
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
मो. : 8400754341

प्रदेश कोषाध्यक्ष
आशीष श्रीवास्तव

दिनांक : ....

पत्रांक : ....

मांग पत्र

1. अन्य विभागों की भांति नियमित प्रकार के कार्यों से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर विभागीय संविदा प्रणाली लागू किया जाये।
2. हरदुआ गंज से निकाले गये 126 संविदा कर्मचारियों को पुनः कार्य पर वापस लिया जाये।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू. 4200 व रू. 5400 का ग्रेड पे दिया जाये (जिस प्रकार मिनिस्ट्रीयल को रू. 6600 का ग्रेड पे दे दिया गया है)।
4. संगठन पर कराये गये मुकदमें वापस लिया जाये तथा प्रदेश अध्यक्ष की शक्ति भवन मुख्यालय प्रवेश पर में लगे प्रतिबंध को हटाया जाये।
5. प्रदेश अध्यक्ष की बर्खास्तगी वापस लिया जाये।
6. बिजली विभाग के किसी भी श्रमिक संगठन को इस विभाग में ठेका न दिया जाये।
7. संविदा कर्मचारियों के ई.पी.एफ. के मद में हुए घोटाले की जांच करायी जाये।
8. आये दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाय तथा इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय।
9. जिन कर्मचारियों को दुर्घटना हित लाभ नहीं मिला है उन्हें दिलाया जाय।
10. कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों का विभाग द्वारा सम्पूर्ण उपचार कराया जाये।
11. लाइन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिया जाय।
12. पावर कारपोरेशन द्वारा दिये गये आदेशों का पालन न करने वाले अधिक्षण अभिन्ताओं के खिलाफ अनुशास्नात्मक कार्यवाही की जाये।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डये)
प्रदेश महामंत्री